हुक्म

8-11-23	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। पुनः अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक....7-12-23.....को पेश हों।
7-12-23	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 12-10-23 को पेश जवाब प्रार्थना पत्र को रिकॉर्ड पर लिया जाकर उभयपक्ष अधिवक्ता बहस प्रा० पत्र 212 आर.टी.ए सुनी गई। बहस समाहृत पत्रावली की गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे। उपखण्ड अधिकारी कापरेन (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

0/प्रा0पत्र/2023

दायरा दिनांक 27.09.2023

पीठासीन अधिकारी
श्रीमती भावना सिंह(RAS)

बउनवान

बाबूलाल आत्मज श्री हीरालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बलदेवपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

–प्रार्थी

बनाम

1. मुकुट बिहारी आ0 नंद किशोर जाति गुर्जर निवासी बलदेवपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
2. जमना शंकर आ0 नंद किशोर जाति गुर्जर निवासी बलदेवपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
3. दुर्गाशंकर आ0 नंद किशोर जाति गुर्जर निवासी बलदेवपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
4. शंभुलाल आ0 नंद किशोर जाति गुर्जर निवासी बलदेवपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

–अप्रार्थिगण

अन्तर्गत धारा 212 आ0टी0एक्ट

अधिवक्ताः– 1. श्री राजेन्द्र कुमार जैन(एडवोकेट)
2. श्री धीरज जैन(एडवोकेट)

निर्णय दिनांकः–07.12.2023

प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी संख्या 233 रकबा 0.13है0, खसरा संख्या 234 रकबा 0.46है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.59है0 किश्म नहरी दोयम वाके ग्राम बलदेवपुरा पटवार हल्का घाट का बराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 में स्थित है। इस आराजी के खातेदार प्रार्थी हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदार को जो अधिकार उपलब्ध हैं, उन सब अधिकारों का उपयोग/उपभोग करने का अधिकार प्रार्थी को है। वर्णित आराजी के संबंध में प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

ने इस प्रार्थना पत्र के साथ अपने विवादित भूमि का परिशिष्ट 'अ' प्रस्तुत किया गया है जो वाद पत्र का भाग है परिशिष्ट 'अ' में एफ–एच–आई–ई भाग पर अप्रार्थिगण द्वारा दावा प्रस्तुति से 4 साल पूर्व धीरे–धीरे अस्थायी निर्माण कर लिया था जिसकी बेदखली के लिए प्रार्थी द्वारा वाद पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थिगण 1 लगायत 4 द्वारा जबरन ताकत के बल पर प्रार्थी की उक्त भूमि में परिशिष्ट अ एफ–एच–आई–ई भाग पर पक्का निर्माण करने हेतु तत्पर है। अप्रार्थिगण द्वारा विवादित आराजी पर पक्का निर्माण कर लिया गया तो मौके की स्थिति बदल जाएगी। वादी का वाद पेश करना बेकार हो जाएगा। अप्रार्थिगण लडाकु किस्म के व्यक्ति है। पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थिगण के विरूद्ध उक्त परिशिष्ट अ में वर्णित भाग एफ–एच–आई–ई को छोडकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रखी है। इस उपरांत भी अप्रार्थिगण ताकत के बल पर विवादग्रस्त भूमि के विवादित भाग की भौगोलिक स्थिति बदलना चाहते है। दोरानेवाद अप्रार्थिगण द्वारा पक्का निर्माण कर कमरे बना लिये गये तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं होगी। प्रार्थी विवादित भूमि का खातेदार होने से प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में है और अंत में निवेदन किया था कि अप्रार्थिगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थी के खातेदारी की अतिक्रमित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें, भू परिवर्तन नहीं करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थिगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थना पत्र की नकल अप्रार्थिगण के अधिवक्ता को दिलवाई गई। अप्रार्थिगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त विवादित आराजी खसरा संख्या 233 एवं 234 सेटलमेंट से पूर्व के खसरा संख्या 148 थे जिसमें से प्रार्थी द्वारा 1 बीघा भूमि का बेचान दिनांक 20.12.1989 को 20,000 रुपये प्रतिफल में अप्रार्थिगण के पिता स्वर्गीय श्री नन्द किशोर आत्मज लक्ष्मीचन्द को किया गया था तथा मेगा हाइवे की तरफ का कब्जा अप्रार्थी को दिया गया था। विक्रयशुदा भूमि पर प्रार्थी के समस्त प्रकार के हक अधिकार समाप्त हो चुके हैं। अप्रार्थिगण के पिता ने प्रतिफल देकर भूमि क्रय की है। विगत वर्षो में अतिवृष्टि से अप्रार्थिगण के मकानों को नुकसान पहुंचने के कारण व मकान की दीवारें जीर्ण शीर्ण होने के कारण अप्रार्थिगण द्वारा जान माल की हानि से बचने के लिए अपने रहने के स्थान की मरम्मत करवाई जा रही है जिससे प्रार्थी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में संलग्न नजरी नक्शे में अप्रार्थिगण की कब्जे की भूमि को गलत दर्शाया गया है। अप्रार्थिगण अतिक्रमी नहीं होकर सद्भावी क्रेता हैं और निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (बून्दी)

हमारे द्वारा उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए अप्रार्थिगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया। अप्रार्थिगण अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए प्रार्थी से एक बीघा भूमि प्रतिफल देकर क्रय की गई थी जिस पर अप्रार्थिगण के मकान बने हुए है जिस पर अप्रार्थिगण का कब्जा है। विगत वर्षों में अतिवृष्टि से अप्रार्थिगण के मकानों को नुकसान पहुंचने के कारण व मकान की दीवारें जीर्ण शीर्ण होने के कारण अप्रार्थिगण द्वारा अपने रहने के स्थान की मरम्मत करवाई जानी अत्यन्त आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 58/2016 में माननीय न्यायालय द्वारा वांछित अनुतोष दिया गया है और निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अवलोकन से विवादित आराजी खसरा संख्या 233 रकबा 0.13है0, खसरा संख्या 234 रकबा 0.46है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.59है0 ग्राम बलदेवपुरा प्रार्थी बाबूलाल आत्मज हीरालाल गुर्जर की खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थिगण के पिता श्री नन्द किशोर द्वारा अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र की छायाप्रति का अवलोकन करने से विवादित आराजी में से 1 बीघा भूमि क्रय होना व क्रय शुदा भूमि पर स्थाई निर्माण होने बाबत् साक्ष्य के आधार पर मूल वाद में तय होगें। वाद बहुलता बढ़ने की सम्भावना को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा संख्या 233,234 वाके ग्राम बलदेवपुरा तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित कृषि भूमि जो प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में संलग्न नक्शे में एफ–एच–आई–ई से दर्शायी हुई है पर अप्रार्थिगण को किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं कर मौके की वर्तमान भौगोलिक स्थिति को परिवर्तन नहीं करने बाबत् ताफैसला मूल वाद को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह प्रार्थी की खातेदारी भूमि के उक्त भाग पर किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि नहीं करें न ही स्वयं करें न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें। पत्रावली फैसल शूमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

निर्णय आज दिनांक 07–12–2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)